कार्यालय कलेक्टर (खाद्य–शाखा) जिला उमरिया (म0प्र0)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 4(1) (ब) के 17 बिन्दुओं की जानकारी :–

1. अपने संगठन का विवरण कार्य तथा कर्तव्यः–विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पदस्थ सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा अनुविभाग स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एंव वितरण पर सतत निगरानी रखा जाना , इसके अतिरिक्त डीजल/पेट्रोल पम्पों की सतत जांच एंव नीले रंग के मिट्टी तेल का दुरूपयोंग करने वाले वाहनों की जांच कार्य सम्पादित किया जाता है ।

2. संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्यः– विभाग अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी अपने प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों के बिक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न,शक्कर एंव केरोसिन वितरण कार्यो में अनियमितताएॅ बरती जाने पर जांच कर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना तथा इन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में शासन के निर्देशानुसार समय पर खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन आदि का उठाव निर्धारित मात्रा एवं दरों पर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के साथही क्षेत्र में आवश्यक वस्तुएॅ समुचित मात्रा में आपूर्ति बनाये रखा जाना ।

3. निरीक्षण तथा दायित्वों के माध्यमों सहित निर्णय प्रक्रिया की कार्यप्रणाली :– कार्यरत अधिकारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के अवैध बिक्रय एंव वितरण कार्यो में अनियमितताएॅ बरती जाने संवंधी जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी/कलेक्टर द्वारा नियमानुसार प्रकरणों मे निराकरण की कार्यवाही की जाती है ।

4. संगठन के कार्य निर्वहन के मानक :– निरंक

5. विभाग के अधीन अथवा इसके कर्मचारियों के द्वारा कार्यो के निर्वहन हेतु धारित विनियम, अनुदेश और अभिलेखः–कार्य के सम्पादन हेतु निष्पादित म0प्र0 (खाद्य पदार्थ) सार्वजनिक वितरण पूर्ति (स्कीम) 1991, म0प्र0 मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980, म0प्र0 केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 केरोसिन (उपयोग पर निर्बधन तथा अधिकतम् कीमत नियतन)

आदेश 1993, म0प्र0 चावल उपार्जन (उद्ग्रहण) आदेश 1970 आदि नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है ।

6. इसके अधीन धारित दस्तावेजों के वर्गो के विवरणः— निरंक

7. जनता के सदस्यों द्वारा विभाग की नीति के प्रतिपादन अथवा प्रशासन से संबंधित किसी परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के प्रबन्ध का विवरण :—आम उपभोक्ताओं को सिटीजन चार्टर/सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शासन द्वारा नियत तिथि के अन्दर शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत स्टॉक/वितरण पंजियों के तीन माहों के पूर्व की प्रवृष्टि प्रतिलिपि मुबलिक 2.00 (दो रूपया) प्रति पृष्ठ की दर से नकल की जमा चुकाकर प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है, इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की बीजक एंव बिक्रय दरों की जानकारी देने का प्रावधान है ं। प्रतिलिपि प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई हो तो इसके निराकरण हेतु कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी /खाद्य अधिकारी/सहायक पंजियक सहकारी संस्थाएँ से सम्पर्क करने के निर्देश है ।

8. विभाग से संबंधित मण्डल, परिषद, समिति जिसमे दो या अधिक सदस्य हों जिसकी रचना इसके भाग अथवा इसके उद्देश्यों या परामर्श के लिये की गई हो तथा यह कि क्या इसकी बैठके सामान्य जनता के लिये खुली है :—शासन के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता परिषद, विकास खण्ड स्तर /शा0उ0मूल्य दुकान स्तर पर उपभोक्ता निगरानी समितियॉ की मासिक बैठकों का आयोजन किये जाने कें निर्देश दिए गये हैं । इन उपभोक्ता परिषद एंव निगरानी समितियों द्वारा क्षेत्र में खाद्यान्नों की आपूर्ति एंव वितरण कार्य पर निगरानी रखना, समय पर आवश्यक वस्तुओं के मुहैया कराये जाने की समीक्षा करना है ।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिकाः—

10. अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा नियमों उपबन्धित क्षतिपूर्ति का विवरणः—
मासिक आय का विवरण

क0	अधि0 /कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	आदि0क्षे0भ0	वाहन भत्ता	म0कि0भत्ता
1.	श्री बी0आर0टेकाम	सहा0आ0अधि0	4500–7000	6875.00	3781.00	–	भ्रमण कार्य अनुसार	172.00
2.	श्री एस.एल.प्रजापति	क0आ0अ0	4000–6000	5500.00	3025.00	40.00	–तदैव–	137.00
3.	श्री एस.एस.मरावी	क0आ0अ0	4500–7000	5375.00	2956.00	–	–तदैव–	137.00
4.	श्री सुरेन्द्र बंसोड़	सहा0वर्ग–3	3050–4590	3200.00	1760.00	–	–	80.00
5.	श्री रामहित सेन	सहा0वर्ग–3	3050–4590	3500.00	1925.00	–	–	88.00
6.	श्री देवीदीन केवट	भृत्य	2610–3540	3475.00	1911.00	–	–	87.00
7.	श्री रामनरेश सेन	भृत्य	2500–3200	2900.00	1595.00	–	–	72.00

11. योजना विवरण को इंगित करते हुए विभाग की प्रत्येक शाखा को आवंटित बजट प्रस्तावित व्यय और वितरण की सूचनाः–(अ) ग्रिड गोदाम निर्माण योजना 6243 –वित्त वर्ष 2005–06 के लिये योजनान्तर्गत तीन गोदाम 50 में0टन क्षमता के निर्माण हेतु रू0 6,60 लाख बजट आवंटन प्राप्त हुआ है । प्राप्त आवंटन निर्माण एजेन्सी आर0ईएस0 को भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है ।

(ब) टंकी निर्माण/क्रय 6242 –वित्त वर्ष 2005–06 हेतु योजनान्तर्गत रू0 3,40 लाख का बजट आवंटित है , जिससे 17 केरोसिन टैंकर क्षमता 3 के0एल0 के क्रय किया जाना प्रस्तावित है । क्रय एजेन्सी लघु निगम को टैंकर क्रय आदेश की कार्यवाही की जा रही है ।

12. अर्थसहाय कार्यक्रमों (सबसिडी कार्यक्रम) का कार्यान्वयन, आवंटित धनराशि और ऐसे कार्यक्रमों के हितग्राहियों का विवरणः– निरंक

13. विभाग द्वारा स्वीकृत रियायतों, अनुमतियों और अधिकृतिकरणों का विवरणः–शासन द्वारा आवंटित खाद्यान्न ,शक्कर एवं केरोसिन का उठाव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर निर्धारित समयावधि में शा0उ0मूल्य दुकानों /फुटकर बिक्रेताओं को प्रदाय किया जा रहा है ।

14. विभाग द्वारा धारित और उपलब्ध सूचना का विवरण :—जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के हित में सूचना एवं परामर्शदात्री प्रकोष्ट के तहत जनशिकायतों एंव सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ।

15. सूचना प्राप्त करने वाले नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, यदि विभाग द्वारा पुस्तकालय अथवा वाचनालय की व्यवस्था हो तो उनके कार्य के घण्टे :—कार्यालयीन समयावधि में आम उपभोक्ताओं को सूचना देने हेतु सूचना परामर्शदात्री केन्द्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निराकरण के प्रावधान किया गया है, इसके साथ ही आम उपभेक्ताओ को समक्ष में मिलने हेतु अपरान्ह 3.00 से 5.00 वजे समय नियत किया गया है, इसी प्रकार शासकीय उचित मूल्य दुकान स्तर पर सूचना के अधिकार संबंधी सूचना फलक प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये है । विभागीय पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था नही है ।

16. जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विवरणः—

क0	सूचना अधिकारी का नाम	पद नाम	सूचना का स्थल	निर्धारित दिन व समय
1.	श्री बी0आर0टेकाम	सहा0आपूर्ति अधि0	जिला कार्यालय (खाद्य—शाखा)	बुद्ववार एवं शुक्रवार समय 3.00 से 5.00 वजे तक
2.	श्री एस0एल0प्रजापति	कनिष्ट आपूर्ति अधि0	उप तहसील कार्या0करकेली	वुद्ववार एंव शुक्रवार समय 11.00 से 1.00 वजे
3.	श्री एस0एल0प्रजापति	—''—	तह0 कार्या0 पाली	बुद्ववार एवं शुक्रवार समय 3.00 से 5.00 तक
4.	श्री एस0एस0मरावी	—''—	तह0कार्या0 मानपुर	बुद्ववार एंव शुक्रवार समय 2.00 से 4.00 तक

17. ऐसी अन्य सूचनाएँ जो निर्धारित की जावे :— निरंक

प्र0 जिला आपूर्ति अधिकारी
जिला—उमरिया(म0प्र0)